निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 27 / 2025
दायरा दिनांकः–02.04.2025
निर्णय दिनांकः– 25.6.25

उनवान

1. पारी बाई आयु 58 वर्ष पुत्री घांसी जाति बंजारा निवासी ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री राजेश लोधा – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल मदनाखेड़ी तहसील छबड़ा हल्का पटवारी पाली में खाता संख्या 203 के खसरा नम्बर 95 रकबा 1.7452 हैक्टयर भूमि स्थित है, जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा दर्ज जमाबंदी है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम पारी बाई पुत्री घांसी है, परन्तु प्रार्थना पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित भूमि में राजस्व रिकॉर्ड व नकल जमाबंदी में पारीबाई के स्थान पर पारवती गलत दर्ज हो गया है. जिसके कारण प्रार्थीया उक्त आराजी में सरकारी योजनाओं का लाभ से वंचित होना पड़ता है, तथा इस कारण से प्रार्थीया अपना नाम दुरूस्तीकरण (सही) होकर पारवती के स्थान पर पारीबाई उक्त खाते की नकल जमाबंदी में दर्ज होना आवश्यक है, तथा राशन कार्ड, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, व अन्य दस्तावेज में प्रार्थीया का नाम पारीबाई दर्ज है, जो सहीं है। प्रार्थीया ने राजस्व कर्मचारीयों एवं अधिकारीयों से कही बार राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में प्रार्थीया का नाम दुरूस्त कर पारवती के स्थान पर पारीबाई अंकित करवाना चाहा है, व निवेदन किया तो सभी ने मना कर दिया व श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर संसोधन करने के आदेश लाने को कहां है।

प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थीया द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 203 पेश की गई। फोटो आधार कार्ड, फोटो प्रति जनआधार कार्ड फोटो प्रति परिवार राशन कार्ड सरपंच ग्राम पंचायत पाली का प्रमाण पत्र पेश किया गया।

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। बहस के दौरान अभिभाषक प्रार्थीया द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थीया का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थीया का हिस्सा 35/138 दर्ज है। प्रार्थीया का वास्तविक नाम पारी बाई पुत्री घांसी है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पारीबाई के स्थान पर पारवती बाई गलत दर्ज हो गया है जिसके कारण प्रार्थीया को सरकारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है प्रार्थीया अपना नाम पारवती बाई के स्थान पर पारीबाई दुरूस्त कराने की अधिकारी है प्रार्थीया का अन्य दस्तावेजात में पारीबाई दर्ज है परन्तु राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में पारवती दर्ज हो गया है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। एवं प्रार्थीया का नाम पारवती के स्थान पर पारीबाई दर्ज किया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम मदनाखेडी के खाता संख्या 203 में प्रार्थीया का नाम पारवती बाई पुत्री घांसीलाल जाति बंजारा दर्ज है उक्त प्रकरण की जॉच करने पर ग्राम वासियो से पुछताछ की गई तो पुछताछ में ग्राम वासियों ने बताया कि पारवती और पारी बाई एक ही महिला का नाम है पारवती बाई को पारी बाई के नाम से जाना जाता है मौके पर उपस्थित लोगो ने बताया की पारवती बाई उर्फ पारीबाई पुत्री घांसीलाल एक ही है इनको ग्राम में दोनो नाम से जाना जाता है पारवती बाई और पारीबाई दोनो नाम सही है और महिला भी एक ही है।

बहस अभिभाषक प्रार्थीया सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम मदनाखेडी सम्वत् 2073–76 खाता संख्या 203 पारवती बाई पुत्री घांसीलाल हिस्स 35/138 दर्ज है प्रार्थीया के द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड जन आधार कार्ड परिवार राशन कार्ड में प्रार्थीया का नाम पारी बाई दर्ज है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थीया का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज है तहसीलदार छबडा ने भी रिपोर्ट में पारवती बाई व पारी बाई दोनो नाम एक ही महिला के होना बताया है इससे यह साबित होता है कि राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीया का नाम गलत दर्ज है जिसे दुरूस्त कराना चाहती है तहसीलदार छबडा की रिपोर्ट एवं प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत अन्य दस्तावेजों के आधार पर प्रार्थीया का सही नाम पारी बाई है प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है विवादित आराजी वाके ग्राम मदनाखेडी तहसील छबडा के खसरा नम्बर 95 रकबा 1.7452 है0 में दर्ज प्रार्थीया का नाम पारवती के स्थान पर पारवती उर्फ पारी बाई दर्ज करने के आदेश तहसीलदार छबडा को दिये जातें है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबडा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा